

बिना चीरा लगे अफीम प्लाट के क्षतिग्रस्त अफीम फसल के जुताई (Plough-back) के द्वारा नष्टीकरण बाबत आवेदन पत्र

(जिन कृषकों के बिना चीरा लगे अफीम प्लाट की अफीम फसल क्षतिग्रस्त हो गयी है। उनको अपनी क्षतिग्रस्त अफीम फसल की जुताई (Plough-back) के द्वारा नष्टीकरण हेतु नियत तिथि की समाप्ति से पूर्व यह आवेदनपत्र संबंधित डिजीजन में प्रेषित करना अनिवार्य होगा। किसी अन्य प्रारूप में दिया गया आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा तथा ऐसे आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी।)

दिनांक

सेवा में,
श्रीमान जिला अफीम अधिकारी,
.....
.....

महोदय,

निवेदन है कि फसल वर्ष 2021-22 में प्रार्थी के नाम जारी.....हेक्टेयर क्षेत्रफल के अफीम लाइसेंस के अन्तर्गत मेरे द्वारा.....हेक्टेयर में अफीम काशत की गयी है। उक्त अफीम काशत एक/ दो प्लाटों में की गयी है। मेरे अफीम काशत के प्लाट/ प्लाटों के खसरा नं. तथा क्षतिग्रस्त अफीम फसल का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	विवरण	प्लाट संख्या 1	प्लाट संख्या 2
1	बंदोवस्त क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
2	प्लाट का खसरा नं.		
3	प्लाट का क्षेत्रफल (वर्गमीटर/हेक्टेयर में)		
4	प्लाट में चीरा प्रारम्भ हुआ है अथवा नहीं ?		
5	यदि चीरा प्रारम्भ हुआ है तो चीरा प्रारम्भ होने की तिथि		
6	यदि चीरा प्रारम्भ नहीं हुआ है तो क्षतिग्रस्त अफीम फसल, जिसे जुताई (Plough-back) के द्वारा नष्टीकरण करवाना है, की अनुमानित क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)		

निवेदन है कि मेरी अफीम प्लाट संख्या..... जिसमें अभी तक चीरा प्रारम्भ नहीं हुआ है, के लगभग..... हेक्टेयर क्षेत्रफल में बोई गई अफीम फसल का हिस्सा दिनांक..... को हुई ओलावृष्टि/ असमय बारिश अथवा बीमारी के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है। अतः कृपया उक्त अफीम प्लाट के क्षतिग्रस्त अफीम फसल के हिस्से को विभागीय निगरानी में नियमानुसार नष्ट करवाने की कृपा करें। आवेदक कृषक का नाम व विवरण निम्नानुसार है:-

1. आवेदक कृषक का नाम		2. आवेदक कृषक के पिता/ पति का नाम	
3. आवेदक कृषक की यूनिक कोड संख्या		4. ग्राम का नाम	
5. तहसील का नाम		6. जिला का नाम	
7. डिजीजन का नाम		8. रेंज नम्बर	
9. यदि आप के किसी अफीम प्लॉट के बिना चीरा लगी अफीम फसल के क्षतिग्रस्त हिस्से के नष्टीकरण के पश्चात उक्त अफीम प्लॉट के शेष फसल में चीरा लगाना हो तो स्पष्ट “चीरा लगाने बावत-तत्काल कार्यवाही हेतु” अंकित करें। ऐसे आवेदनों पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने का प्रयास किया जावेगा।			
10. यदि आपकी अफीम फसल देर से बुवाई होने के कारण फसल छोटी हो कर अभी तक उसमें अफीम डोड़े नहीं बने हो तथा आप उसे क्षतिग्रस्त होने के कारण नष्ट कराना चाहते हो तो स्पष्ट “डोड़ा रहित अफीम फसल-तत्काल कार्यवाही हेतु” अंकित करें। ऐसे आवेदनों पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने का प्रयास किया जावेगा।			
11. यदि आपकी अफीम फसल में अफीम डोड़े बन चुके हों तथा आप उसे क्षतिग्रस्त होने के कारण नष्ट कराना चाहते हो तो स्पष्ट “डोड़ा सहित अफीम फसल-कार्यवाही हेतु” अंकित करें। ऐसे आवेदनों पर कार्यवाही दिनांक 15.03.2022 के पश्चात किया जायेगा।			

मैं यह वचन देता हूँ कि मेरी क्षतिग्रस्त अफीम फसल की विभागीय निगरानी में जुताई (Plough-back) के द्वारा नष्टीकरण के समय मैं विभागीय अधिकारियों का पूर्ण सहयोग करूंगा तथा नष्टीकरण के पश्चात जो भी डोड़ा चूरा उत्पादित होगा, उससे अथवा उसके किसी अंश से किसी प्रकार की छेड़छाड़ या खुर्द-बुर्द नहीं करूंगा। समस्त उत्पादित डोड़ा चूरा को मैं विभागीय अधिकारियों के समक्ष उनके निर्देशानुसार बताये गये विधि से नष्ट कर दूंगा। अन्यथा मेरे विरुद्ध विधि सम्मत नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त दी जानकारी एवं कथन सत्य है। मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त जानकारी में से कोई भी जानकारी अथवा मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त वचन असत्य पाये जाने पर मेरे विरुद्ध विधि सम्मत नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

अफीम लम्बरदार
के हस्ताक्षर/ अँगूठा निशानी

अफीम कृषक
के हस्ताक्षर/ अँगूठा निशानी